(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 45/2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री मांगीलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी सरदार कॉलोनी, वार्ड नं. 23, अन्ता जिला बारॉ(विक्रेता) मैसर्स भव्य एंटरप्राइजेज, अजीतपुरा स्टेशन रोड, अन्ता जिला बारॉ
2. श्रीमती दीपिका खण्डेलवाल पत्नी श्री कपिल खण्डेलवाल निवासी सरदार कॉलोनी,स्टेशन रोड,अन्ता जिला बारां
3. मैसर्स भव्य एंटरप्राइजेज, अजीतपुरा स्टेशन रोड, अन्ता जिला बारॉ
4. श्री भगवानदास हरवानी पुत्र श्री रामचंद्र हरवानी निवासी प्लाट नं. 1, माँ पार्वती निवास, रेलवे मेंस कॉलोनी, अजय नगर, अजमेर राज. 305001(मालिक) मैसर्स पार्वती ऑयल मिल, ई–1,2, रिक्को इण्डस्ट्रियल ईस्टेट, मखुपुरा, अजमेर राज. 305002
5. मैसर्स पार्वती ऑयल मिल, ई–1,2, रिक्को इण्डस्ट्रियल ईस्टेट, मखुपुरा, अजमेर राज. 305002

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री आलोक गोयल अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 2 व 3)
3– श्री रमेशचंद गोयल अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1,4 व 5)

निर्णय दिनांक 12.12.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.02.2023 को मैसर्स भव्य एंटरप्राइजेज, अजीतपुरा स्टेशन रोड, अन्ता जिला बारॉ(राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री मांगीलाल गुप्ता(विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 24 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **मूंगफली तेल (श्री पार्वती स्वास्तिक) मूल पैक** 01 लीटर–01 लीटर के चार मूल पैक आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य **मूंगफली तेल (श्री पार्वती स्वास्तिक) मूल पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधि[illegible] **मूंगफली तेल(श्री पार्वती स्वास्तिक) मूल पैक** के 04 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत [illegible] प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री मांगीलाल गुप्ता(विक्रेता) को 720/–रूपये (अक्षरे सात सौ बीस रूपये) [illegible] विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर[illegible] आवेदक ने हस्[illegible] किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य प[illegible] **मूंगफली तेल(श्री पार्वती स्वास्तिक) मूल पैक** के [illegible] भागो पर अलग अलग लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड [illegible]मांक ए.एच.–1682 दर्ज [illegible] प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1682 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.28 18:89:29 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री मांगीलाल गुप्ता(विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/91 दिनांक 28.02.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 118/PHL/kota/Act/2023/119 दि. 21.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मूंगफली तेल(श्री पार्वती स्वास्तिक) मूल पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub standard)** एवं धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 26.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मूंगफली तेल(श्री पार्वती स्वास्तिक) मूल पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub standard)** एवं धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 विक्रेता है जिन्होंने जरिये बिल माल खरीदा था जिस स्थिति में माल निर्माता से खरीदा गया था उसी स्थिति में माल का विक्रय किया गया है। इसलिए अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 का किसी प्रकार से कोई दोष प्रमाणित नहीं है। इसी तरह निर्माता को भी निर्धारित अवधि में परीक्षण रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई है जिसकी वजह से वह द्वितीय जांच करवाने से वंचित हो गया है। ऐसी स्थिति में निर्माता का भी कोई दोष प्रमाणित नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मूंगफली तेल(श्री पार्वती स्वास्तिक) मूल पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 118/PHL/kota/Act/ 2023/119 दिनांक 21.02.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub standard)** एवं धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 04 व 05 को कुल जुर्माना राशि 90,000/– रूपये(अक्षरे नब्बे हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 04 व 05 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक **12.12.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.28 18:39:22 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)